रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 455] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, फरवरी 28, 2013/फाल्गुन 9, 1934
No. 455] NEW DELHI, THURSDAY, FEBRUARY 28, 2013/PHALGUNA 9, 1934

शहरी विकास मंत्रालय

(दिल्ली प्रभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 28 फरवरी, 2013

का.आ. 492(अ).— यतः यहां नीचे उल्लिखित क्षेत्र के संबंध में दिल्ली के मास्टर प्लान में केन्द्र सरकार का जिन कुछ संशोधनों का प्रस्ताव था, उन्हें दिल्ली विकास अधिनियम, 1957 (1957 का 61) के खण्ड-44 के प्रावधानों के अनुसार दिनांक 1 नवम्बर, 2010 की का.आ.सं. 2690(ई) की सार्वजनिक सूचना द्वारा भारत के असाधारण राजपत्र में प्रकाशित किया गया जिसमें उक्त नोटिस की तारीख से तीस दिनों के अंदर उक्त अधिनियम के खण्ड 11-ए के उप खण्ड (3) द्वारा यथा अपेक्षित आपत्तियां/सुझाव आमंत्रित किए गए ।

2. यतः प्रस्तावित संशोधन के संबंध में प्राप्त आपत्तियों/सुझावों पर दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा विचार किया गया है ; और

3. यतः केन्द्र सरकार ने मामले के सभी पहलुओं पर ध्यानपूर्वक विचार करने के बाद दिल्ली के मास्टर प्लान- 2021 में संशोधन करने का निर्णय लिया है ।

4. अतः अब उक्त अधिनियम के खण्ड ।।-ए के उपखण्ड-2 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्र सरकार भारत के राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशित होने की तारीख से दिल्ली के उक्त मास्टर प्लान-2021 में एतद्द्वारा निम्नलिखित संशोधन करती है।

संशोधनः

जोन एल (पश्चिम दिल्ली -III) क्षेत्र का भू-उपयोग निम्नलिखित विवरणानुसार परिवर्तित किया जाता है :

क्र.स	स्थान	क्षेत्र	भू उपयोग (एमपीडी- 2021)	निम्नलिखित के लिए भू-उपयोग का परिवर्तन	सीमाएं
1	टीकरी कलां गांव के पूर्व में	10.50	आर.डी-आवासीय	पी2- मनोरंजनात्मक	उत्तर :रोहतक रोड पूर्व : आवासीय दक्षिण:सुविधा गलियारा पश्चिम: टीकरी कलां गांव
2	झड़ौदा कलां गांव के दक्षिण में	40.70	ए2-हरित पट्टी	जी 3, सरकारी भूमि, (प्रयोग अनिर्धारित)	उत्तर:मनोरंजनात्क पूर्व: 30 मी. चौडी सडक दक्षिण: सरकारी भूमि पश्चिम : 45 मी. चौडी सडक
3	झड़ौदा कलां गांव में हरित पट्टी/कृषि क्षेत्र	39.22	ए2-हरित पट्टी	जी 3 सरकारी भूमि, (प्रयोग अनिर्धारित)	उत्तर: मनोरंजनात्मक /निर्मित क्षेत्र पूर्व:पी.एस.पी.एवं सुविधा गलियारा दक्षिण:30 मी चौडी संडक / पीएसपी पश्चिम: सरकारी भूमि
4	ढांसा गांव के में उत्तर में	85.14	ए2-हरित पट्टी	जी 3 सरकारी भूमि, (प्रयोग अनिर्धारित)	उत्तर: मनोरंजनात्मक पूर्व: 45 मी चौडी सडक दक्षिण:मनोरंजनात्मक पश्चिम:मनोरंजनात्मक

[फा. सं. के-12011/3/जोन-एल/2010-डीडी-I]

जे. पी. अग्रवाल, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF URBAN DEVELOPMENT
(Delhi Division)
NOTIFICATION

New Delhi, the 28th February, 2013

S.O. 492(E).— whereas certain modifications which the Central Government proposed to make in the Master Plan for Delhi regarding the area mentioned hereunder were published in the Gazette of India, Extraordinary, as Public Notice S.O. No. 2690 (E) dated 1st November 2010 by the Delhi Development Authority in accordance with accordance with the provisions of Section 44 of the Delhi Development Act, 1957 (61 of 1957) inviting objections/suggestions as required by sub-section (3) of Section 11-A of the said Act, within thirty days from the date of the said notice.

2. Whereas objections/suggestions received with regard to the proposed modifications have been considered by the Delhi Development Authority; and

3. Whereas the Central Government have after carefully considering all aspect of the matter, decided to modify the Master Plan for Delhi 2021.